कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री उत्तर प्रदेश मेडिकल डेवाइसेस एण्ड इक्यूपमेन्ट्स ट्रेड एसोसियेशन, 4, बाल्मीकी मार्ग, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**32 / 12, 14.05.2012**
प्रार्थी की ओर से	**श्री प्रकाश सचदेवा, महामन्त्री।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

. सर्वश्री उत्तर प्रदेश मेडिकल डेवाइसेस एण्ड इक्यूपमेन्ट्स ट्रेड एसोसियेशन, 4, बाल्मीकी मार्ग, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तर्गत यह पूछा गया है कि Orthopedic Appliances, Surgical Belts & Trusses, Splints & Other Fracture Appliances, पर कर की दर क्या है।

2. एसोसियेशन की ओर से श्री प्रकाश सचदेवा, महामन्त्री उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि Aids and implements used by handicapped persons उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-2 पर करमुक्त है। Orthopedic Appliances, Surgical Belts & Trusses, Splints & Other Fracture Appliances भी ऐसे equipment, apparatus, tool and kit हैं जिनका प्रयोग handicapped persons द्वारा किया जाता है। इन सभी का HSN code एक है। अत: यह भी करमुक्त की श्रेणी में आते हैं। तदनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम के पत्रांक-598, दिनांक 29.05.12, द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है। आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-1 के क्रमांक-2 पर जो वस्तुएं करमुक्त की गयी हैं वह अस्पष्ट रूप से Aids and Implements including motorized / trycycle used by handicapped persons अंकित किया गया है अत: trycycle जैसी वस्तुएं ही करमुक्त हैं। जिनका प्रयोग केवल-केवल हैण्डीकैप द्वारा ही किया जाता हो।

1-Cervical Splints 2-Shoulders arm and clavicle brace 3-Wrist and forearm splints 4-Rib splints 5-Back splints (support) 6-Abdominal splints 7-Knee splints 8-finger splints 9-Emergency splints 10-Ankle splints 11-Conditioning splints 12-Ambulatory splints and 13-Fracture Braces

उपर्युक्त 13 वस्तुएं ऐसे सामान्य व्यक्तियों द्वारा ही प्रयोग की जा सकती है, जो कि कुछ दिनों के लिए जैसे-चोट लग गयी हो अथवा कुछ समय के लिए दर्द या टेढ़ापन आया हो इसके विपरीत इन प्रविष्टियों में करमुक्ति उन वस्तुओं के लिए मानी जा सकती है जिन वस्तुओं की उपयोग करने के लिए प्रकृति केवल-केवल हैण्डीकैप के लिए बनायी गयी हो। इनमें दवाएं आर्थोपैडिक डेवाइसेस कदापि शामिल नहीं होंगी जो वस्तुएं हैण्डीकैप की प्रतिशतता के आधार पर निर्मित होती है। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ पैर गर्दन आदि में कितनी दूर में कौन सा उपकरण अथवा किस प्रकार का बना हुआ डेवाइसेस चाहिए होगा, लगाया जाना है। इसका

...2

निर्धारण व्यक्ति के अक्षमता पर निर्भर करता है, अत: इन्हें उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-1 के क्रमांक-2 पर न निर्धारित होकर मेडिकल इक्यूपमेन्ट की उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-II के क्रमांक-79 के आधार पर निर्भर करता है। जिनमें निम्न प्रविष्टियां हैं :-

Medical equipment / devices & implants; I.B. Canula,Scalp Vanset, Surgical Blade, Blood collection tube; Contact lens, spectacle frame, lenses, spectacles excluding sun goggles and sun glasses

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 में HSN code के आधार पर कर की दर निर्धारित नहीं की गयी है।

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि प्रश्नगत सर्वश्री उत्तर प्रदेश मेडिकल डेवाइसेस एण्ड इक्यूपमेन्ट्स ट्रेड एसोसियेशन, 4, बाल्मीकी मार्ग, लखनऊ कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं कर रही है और न ही किसी प्रकार से यथा-पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर है। एसोसियेशन निश्चित रूप से विधिक व्यक्ति (Legal person) हो सकता है, परन्तु जब तक person or dealer concerned in U.P. VAT Act न हो तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है। चूँकि प्रश्नगत एसोसियेशन person or dealer concerned नहीं है अत: वह प्रश्न नहीं पूछ सकती है। प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन किया गया। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में निम्न प्रकार से व्यवस्था दी गयी है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

तो सम्बन्धित व्यक्ति या व्यवहारी, धारा 72 में विनिर्दिष्ट शुल्क जमा करके, ऐसे दस्तावेजों सहित जो निर्धारित किये जायें, कमिश्नर को प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

इस प्राविधान से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है जब तक वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से व्यापारिक गतिविधि न कर रहा हो। सर्वश्री उत्तर प्रदेश मेडिकल डेवाइसेस एण्ड इक्यूपमेन्ट्स ट्रेड एसोसियेशन, 4, बाल्मीकी मार्ग, लखनऊ द्वारा स्वयं में कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा रही है और न ही वह पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं। ऐसी स्थिति में वह person or dealer concerned नहीं हैं। अत: उक्त एसोसियेशन विधिक प्रश्न नहीं पूछ सकती है,

.....3

इसलिए धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति एसोसियेशन व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 19 अक्टूबर, 2012

ह0 / 19.10.2012

(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।